मदरसों के लिए ज़कात जमा करनेवाले सफ़ीरों और प्रबंधकों के बारे में

मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मदरसों की तरफ़ से ज़कात जमा की जाती है। इस सम्बन्ध में बहुत से सवाल खड़े होते रहते हैं। इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट है कि मदरसों में जमा हुई ज़कात फ़ौरन ख़र्च नहीं हो पाती है, और यह काफ़ी दिनों तक खातों में पड़ी रहती है, जबकि ज़कात का माल जल्द से जल्द उसके हक़दारों में तक़सीम कर देना ज़रूरी है। चुनांचे इस सिलसिले में पांचवें फ़िक्ही सेमिनार में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ।

मदरसों की तरफ़ से ज़कात जमा करनेवाले मदरसा प्रबंधक या उनकी तरफ़ से नियुक्त किए गए सफ़ीरों की हैसियत ज़कात के हक़दार छात्रों के वकील या प्रतिनिधि की है, इसलिए उन्हें देने से ज़कात का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन मदरसों के प्रबंधकों की यह ज़िम्मेदारी और कर्तव्य है कि वे शरीअत के निर्देशानुसार जल्द से जल्द हक़दार छात्रों पर इसे ख़र्च कर दें।

☆☆☆